

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2017
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0021 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 20/09/2017 16:23 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Friday Date from (दिनांक से): 13/03/2015 Date To (दिनांक तक): 13/03/2015
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 09:00 hrs Time To (समय तक): 17:00 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/09/2017 Time (समय): 15:50 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 20/09/2017 15:57 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 70 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): रतिया,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): श्री अनिल कुमार DSP
(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 15/03/1965 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
1	Present Address	SVB Office Hisar, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	SVB Office Hisar, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

2	Permanent Address	SVB Office Hisar, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
---	-------------------	---

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9991411154

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	मनजीत कौर लिपिक नगर पालिका			1. नगर पालिका रतिया जिला फतेहबाद, FATEHABAD, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान् जी, जांच क्रमांक 5 दिनांक 14.07.2015 फतेहाबाद महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो(ह.) पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 10154-55/1-5/SVB (H) पंचकुला दिनांक 15.07.2015 की अनुपालना में दर्ज रजि. होकर जांच हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई यह जांच अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तचर विभाग (ह) पंचकुला के पत्र क्रमांक 904/शिकायत शाखा गुप्तचर दिनांक 27.04.2015 के आधार पर दर्ज रजिस्ट्र की गई थी जिसमें आरोप था कि विश्वस्त सुत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्रीमति मनजीत कौर कार्यालय नगरपालिका रतिया में कर्लक पद पर सेवारत है यह नगरपालिका रतिया द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्यों का लेखा-जोखा रखती है। यह नगरपालिका रतिया के विकास कार्य करवाने वाले ठेकेदारों से कमिशन का लेन देन करती है अर्थात् रिश्वत के रूप से उनसे सुविधा शुल्क लेती है श्रीमति मनजीत कौर कर्लक कार्यालय नगरपालिका रतिया व श्री विजय कुमार ठेकेदार एवं पूर्व पार्श्व के बीच नगरपालिका रतिया के अधीन चल रहे विकास कार्यों में कमिशन लेने देने से सम्बन्धित बातचीत की रिकार्डिंग की सी.डी. अवलोकनार्थ साथ सलंगन है सी.डी. में जो महिला बोल रही है वह श्रीमति मनजीत कौर कर्लक की आवाज है। और जो आदमी बोल रहा है वह श्री विजय कुमार ठेकेदार की आवाज है विश्वस्त सुत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्रीमति मनजीत कौर कर्लक द्वारा कमिशन के रूप में ली जाने वाली सुविधा शुल्क की राशि श्री रामकरण भारद्वाज सचिव नगरपालिका रतिया व श्रीमति सुरेन्द्र कौर प्रधान नगरपालिका रतिया को दी जाती है उक्त आरोपों की जांच विष्णु प्रसाद निरीक्षक तथा अनिल कुमार निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान प्राप्त कथन, रिकार्ड व सी.डी. में की गई रिकार्डिंग तथा रिकार्डिंग की कन्वरसैशन से पाया गया कि शिकायतकर्ता विजय कुमार ने नगरपालिका रतिया के अधीन पंजीकृत ठेकेदार भारत भूषण से पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करके नगरपालिका कार्यालय की नई बिल्डिंग का 84 लाख रुपये व शहीद देवेन्द्र सिंह पार्क का निर्माण कार्य 80 लाख रुपये में लिया था। यह कार्य एक वर्ष की अवधि के दौरान पूर्ण किया जाना था। उक्त ठेकेदार विजय कुमार द्वारा निर्माण कार्य समय अवधि में पूर्ण कर लिया था। ठेकेदार विजय ने बकाया बिल 28 लाख 88 हजार 299 रुपये का चैक जारी करने की एवज में श्रीमति मनजीत कौर लिपिक से फोन पर कुल राशि का 9 प्रतिशत जिसमें 4 प्रतिशत प्रधान का 3 प्रतिशत सैक्रेट्री का वा 2 प्रतिशत खुद के कमिशन लेने बारे बातचीत की है। नगरपालिका के रिकार्ड अनुसार इस कार्य को पूर्ण करने उपरान्त उक्त ठेकेदार को 28 लाख रुपये 88 हजार 299 रुपये का चैक जारी किया जाना था इस चैक को जारी करने की एवज में श्रीमति मनजीत कौर लिपिका (लेखाकर) नगरपालिका रतिया ने रिश्वत की मांग की जिस बारे शिकायतकर्ता विजय कुमार ने दिनांक 13.03.15 को सेंटिंग आपरेशन करके मंजित कौर से हुई बातचीत रिकार्ड कर ली। सी.डी. के सुनने से पाया गया कि विजय कुमार ठेकेदार से मंजित कौर लिपिका ने उपरोक्त राशि का 9 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की राशि ली है। मंजित कौर और विजय कुमार शिकायतकर्ता के मध्य रिश्वत की राशि के लेनदेन बारे हुई बातचीत जांच अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट में वर्णित है शिकायतकर्ता विजय कुमार व अन्य ने दिनांक 24.03.15 को श्रीमति मंजित कौर के विरुद्ध विभागीय तौर पर हुये विकास कार्य म सप्लाई की गई सामग्री की पैमेन्ट ना करने बारे शिकायत एस.डी.एम. कार्यालय रतिया में दी गई थी जिस बारे S.D.M. रतिया द्वारा उपरोक्त शिकायत की जांच की गई जिसमें श्रीमति मंजित कौर लेखा लिपिका नगरपालिका रतिया द्वारा श्री विजय कुमार ठेकेदार से फोन पर कमिशन बार बात करने की पुष्टि हुई इसके अतिरिक्त मंजित कौर ने खुद अपने ब्यानों में भी रिश्वत लेना माना है। SDM रतिया द्वारा यह मामला पुर्णता भ्रष्टाचार का मानते हुये यह जांच विजिलैन्स विभाग से करवाये जानी की सिफारिश की थी। जांच के दौरान शिकायतकर्ता विजय कुमार व श्रीमति मंजित कौर से मध्य हुई बातचीत की कॉल डिटेल व मोबाईल नम्बर की सैल आई.डी. प्राप्त की गई जिससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच मोबाईल पर बातचीत हुई थी मोबाईल नम्बर 78768-18170 श्रीमति मंजित कौर पत्नि भालिन्द्र सिंह वाई न. 8 टिब्बा कलोनी रतिया हाल लिपिक नगरपालिका रतिया जिला फतेहबाद के नाम होना पाया गया है तथा मोबाईल नम्बर 94161-91291 विजय कुमार पुत्र सीताराम वाई न. 11 टिब्बा कलोनी रतिया जिला फतेहबाद के नाम होने पाये गये हैं। उपरोक्त सेंटिंग आपरेशन दिनांक 13.03.2015 को होना पाया गया है जांच के दौरान शिकायत कर्ता विजय कुमार ने दिनांक 13.03.15 को हुये सीटिंग आपरेशन बारे अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में श्रीमति मंजित कौर लिपिका नगरपालिका रतिया के विरुद्ध जुर्म जेरधारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किये जाने तथा अभियोग के अनुसंधान के दौरान सुरेन्द्र कौर पत्नि परमजीत सिंह प्रधान श्री सदीप सोलंकी सचिव नगरपालिका रतिया की भूमिका को देख लिये जाने का सुझाव तथा SDM रतिया की जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच में दर्शाये ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किये जाने कि सिफारिश रिपोर्ट तैयार करके पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार के पत्र क्रमांक 3470 SVB/HSR दिनांक 10.11.2015 के माध्यम से महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई। तदोपरान्त महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला ने यह जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक 17070/ रा.चौ.ब्यूरो (ह.) दिनांक 26.11.2015 द्वारा मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ को भिजवाई। इस जांच रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव हरियाणा ने पत्र क्रमांक 52/74/2015-2 चौकसी ii दिनांक 09.08.2017 के तहत महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो (ह) पंचकुला को निर्देश दिया कि उपरोक्त जांच रिपोर्ट में आरोपी श्रीमति मंजित कौर लिपिक नगरपालिका रतिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7/49/88 के तहत अभियोग दर्ज किया जाये व अभियोग के अनुसंधान के दौरान श्रीमति सुरेन्द्र कौर पत्नि कर्मजीत सिंह प्रधान श्री सदीप सोलंकी, सचिव नगरपालिका रतिया की भूमिका की भी जांच की जाये एवं सम्बन्धित ठेकेदारों को भी ब्लैक लिस्ट किया जाये। जिस पर महानिदेशक रा.चौ.ब्यूरो (ह) पंचकुला से पत्र क्रमांक 10387 I-3/SVB(H) दिनांक 18.08.2017 के अनुसार श्रीमति मंजित कौर लिपिक नगरपालिका रतिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7/49/88 के तहत अभियोग दर्ज किया जाने व अभियोग के अनुसंधान को दौरान श्रीमति सुरेन्द्र कौर पत्नि कर्मजीत सिंह प्रधान श्री सदीप सोलंकी, सचिव नगरपालिका रतिया की भूमिका की भी जांच करने के आदेश प्राप्त हुये प्राप्त आदेशों की अनुपालना में श्रीमति मंजित कौर लिपिक नगरपालिका रतिया के विरुद्ध मुकदमा जेर धारा 7 PC Act के तहत दर्ज रजिस्ट्र करके मिशल मु. हजा मय आमदा रिकार्ड (कुल चार फाईले जांच क्रमांक 5/2015 फतेहबाद मय अन्तिम रिपोर्ट बराये तफतीश निजद नि. श्रीराम उप केन्द्र फतेहबाद भेजी जायेगी। SD अनिल कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार दिनांक 20.09.2017। अज थाना:- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले निरीक्षक श्रीराम रा.चौ.ब्यूरो उपकेन्द्र फतेहबाद के हवाले की जायेगी। नकुलात FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रैट साहब फतेहबाद व पुलिस अधीक्षक फतेहबाद की सेवा में भेजी जा रही है। नकुलात FIR की हाई कापी बजरिया डाक भेजी जायेगी।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Siri Ram Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): 109HAP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Mohinder Singh

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 34A

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)
15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1977				
						Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)